फर्द अहकाम

बोहरा बनाम राजीव

सहायक कलक्टर जयपुर सिटी

न्यायालय

मुकदमा 43/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/8/2019	फरियादी पेश हुए। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को दिनांक 06/09/2019 को अभियोजन की तामीली सरि Ex. से करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है। आज वकील प्रार्थी के द्वारा अभियोजन की तामीली हेतु रजिस्टर्ड A.D. नोटिस पेश नहीं किये गये। वकील प्रार्थी को इस शर्त के साथ Ex Party Stay दिया जाता है कि वह अभियोजन की तामीली सरि A.D. से करवाये अन्यथा वकील प्रार्थी ने (नोटिस) सरि A.D. का नोटिस पेश न करने पर अभियोजन की तामीली नहीं हो सकी। वकील प्रार्थी को 6/9/2019 से अभियोजन की तामीली हेतु समय दिया जा रहा है। तथा वाद निबंधित 09/05 में लंबित किया जाता है इसके में प्रार्थिका का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थिका पक्ष अभियोजी निबंधित को भी 09/05 में लंबित के आदेश से लंबित किया जाता है फरियादी द्वारा दर्ज मुकदमा से कम हेतु प्रेमचन्द कुमार द्वारा सहायक कलक्टर है।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Br
Date: 2021.03.15 12:18:36 IST
Reason: SelfAttested